F — पहचान, संपर्क एवं अभिगम्यता

सार्वजनिक पुस्तकालय / वाचनालय

यह संस्थान क्या है

प्रत्येक जिले में सामान्यतः एक मुख्य जिला सार्वजनिक पुस्तकालय होता है — जिले का सबसे बड़ा पुस्तकालय तथा एक नेटवर्क का शीर्ष जिसमें शाखा पुस्तकालय, खंड पुस्तकालय तथा मोबाइल पुस्तकालय वैन शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य सूची का विषय हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य के पास प्रबंधन, स्टाफ़िंग एवं वित्त-पोषण को नियंत्रित करने वाला अपना कानून है। जिला पुस्तकालयाध्यक्ष मुख्य पुस्तकालय का प्रबंधन करते हैं तथा छोटी इकाइयों का समन्वय करते हैं। एक युवा के लिए, जिला पुस्तकालय एक निःशुल्क पठन स्थान, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों का स्रोत, तथा — आधुनिकीकृत पुस्तकालयों में — कंप्यूटरों एवं इंटरनेट तक पहुँच का स्थान है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आपको पढ़ने के लिए शांत स्थान चाहिए, समाचार पत्र एवं पुस्तकें निःशुल्क पढ़नी हैं, या ऑनलाइन आवेदन के लिए इंटरनेट युक्त कंप्यूटर तक पहुँच चाहिए, तो जिला सार्वजनिक पुस्तकालय इन्हीं उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किए गए कुछ सार्वजनिक स्थानों में से एक है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
संबंधित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम / नियम (जहाँ अधिनियमित हो)	पुस्तकालय प्रबंधन, स्टाफ़िंग एवं वित्त-पोषण के लिए राज्य-विशिष्ट कानून
संबंधित राज्य सरकार पुस्तकालय नियम (जहाँ कोई समर्पित अधिनियम न हो)	जिन राज्यों में कोई समर्पित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, वहाँ राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों के लिए विभागीय नियम लागू होते हैं
राजा राममोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन (RRRLF) दिशानिर्देश	पुस्तकों, उपकरणों, भवन एवं आउटरीच के लिए केंद्रीय मिलान एवं गैर-मिलान अनुदान
राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (NML)	चयनित जिला पुस्तकालयों (व्यापक रूप से प्रति राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश एक) को NML मॉडल पुस्तकालयों के रूप में अवसंरचना उन्नयन, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण (ICT), विशेष-सक्षम (दिव्यांगजन) उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं के निर्माण, तथा आउटरीच कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता के साथ उन्नत किया जाता है

- **केंद्र:** संस्कृति मंत्रालय (MoC) → अनुदानों एवं आधुनिकीकरण समर्थन के लिए RRRLF (राजा राममोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन) / NML (राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन)
- **राज्य:** राज्य शिक्षा/संस्कृति विभाग → सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय। संबंधित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वाले राज्यों में, सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक (राज्य निदेशालय का नेतृत्व करते हुए) राज्य पुस्तकालय नेटवर्क के लिए शीर्ष वैधानिक प्राधिकारी हैं — नेटवर्क का प्रबंधन एवं संगठन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, मानक निर्धारित करते हैं, तथा जिला संचालन का समन्वय करते हैं। जहाँ कोई सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (PLA) नहीं है, यह कार्य शिक्षा / संस्कृति विभाग के भीतर आता है।
- **जिला:** जिला पुस्तकालय समिति — सामान्यतः जिलाधिकारी संरक्षक, जिला पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य सचिव, शिक्षा एवं संस्कृति विभागों के प्रतिनिधि, तथा सामुदायिक प्रतिनिधि; संग्रह-विकास योजनाओं, शाखा पुस्तकालयों एवं मोबाइल वैनों के लिए सेवा कार्यक्रमों, तथा राज्य बजट एवं RRRLF अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करती है
- **वित्त-पोषण:** वेतन एवं संचालन के लिए राज्य बजट। RRRLF पुस्तकों, पठन सामग्री, फर्नीचर, कंप्यूटर, पुस्तकालय उपकरण, मोबाइल पुस्तकालय सेवाओं, तथा पुस्तकालय भवन निर्माण/नवीनीकरण के लिए मिलान अनुदान (राज्य सरकार के साथ साझा लागत) प्रदान करता है; तथा बच्चों के कोनों, महिलाओं / वरिष्ठ नागरिकों / नव-साक्षरों के लिए खंड, दिव्यांगजन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं, मील-पत्थर वर्ष समारोहों, पुस्तकों के केंद्रीय चयन, स्वैच्छिक-संगठन पुस्तकालयों, तथा सेमिनार/कार्यशालाओं के लिए गैर-मिलान अनुदान देता है। NML मॉडल पुस्तकालय उन्नयन 75:25 (केंद्र:राज्य) वित्तपोषित हैं; पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10। कुछ संबंधित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम संपत्ति कर पर पुस्तकालय उपकर लगाते हैं।

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
जिला पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालय के प्रमुख — सेवाएँ, संग्रह विकास, शाखा इकाइयों का पर्यवेक्षण
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / पुस्तकालय सहायक	परिचलन, सूचीपत्र, तथा पाठक सेवाएँ
पुस्तकालय परिचर / सहायक स्टाफ	शेल्विंग, इश्यू/रिटर्न, रखरखाव
मोबाइल पुस्तकालय स्टाफ	जहाँ मोबाइल वैन मौजूद है — क्षेत्र सेवाएँ एवं आउटरीच

अनिवार्य सेवाएँ

- पठन एवं उधार सेवाएँ प्रदान करना: सदस्य पुस्तकें उधार लेते हैं; गैर-सदस्य स्थल पर पढ़ते हैं
- समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं तक प्रतिदिन निःशुल्क पहुँच प्रदान करना
- मोबाइल पुस्तकालय वैनों एवं पुस्तक जमा केंद्रों (जहाँ स्वीकृत हो) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएँ विस्तारित करना
- राज्य एवं RRRLF अनुदानों का उपयोग करते हुए संग्रह विकसित एवं संरक्षित करना
- पठन प्रोत्साहन, विद्यालय भ्रमण, तथा सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करना
- दिव्यांगजन (विशेष-सक्षम) उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएँ प्रदान करना — सुलभ पठन स्थान, स्क्रीन-रीडर, बड़े-प्रिंट एवं ऑडियो संग्रह, तथा व्हीलचेयर रैंप
- जहाँ पुस्तकालय धारिता में कॉपीराइट-मुक्त पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पुस्तकें, पुरानी पत्रिकाएँ, या स्थानीय ऐतिहासिक अभिलेख शामिल हों, उन्हें डिजिटाइज़ करना तथा भारत के राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय / राष्ट्रीय डिजिटल भंडार में योगदान करना
- आधुनिकीकृत पुस्तकालयों में: इंटरनेट युक्त कंप्यूटर, ई-ग्रंथालय 4.0 (NIC के क्लाउड-आधारित पुस्तकालय-स्वचालन सॉफ्टवेयर) का उपयोग करते हुए स्वचालित सूचीपत्र/परिचलन, तथा दो राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टलों — भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) (शैक्षिक संसाधन, शिक्षा मंत्रालय (MoE)) तथा भारत का राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय (NVLI) (पुस्तकालय/सांस्कृतिक-विरासत संसाधन, MoC) — तक पहुँच प्रदान करना

संबंधित योजनाएँ

- **RRRLF मिलान अनुदान** — पुस्तकों, फर्नीचर, कंप्यूटर, बच्चों के कोनों, तथा मोबाइल वैनों के लिए अनुदान
- **राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (NML)** — IT एवं अवसंरचना उन्नयन के लिए एक-बार आधुनिकीकरण अनुदान
- **राज्य पुस्तकालय बजट** — स्टाफ, पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं भवन रखरखाव के लिए वार्षिक वित्त-पोषण
- **पुस्तकालय उपकर (जहाँ संबंधित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करें)** — संपत्ति कर पर एक छोटे शुल्क से अतिरिक्त राजस्व

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: punlib.net — PunLib नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान को जिला पुस्तकालय पतों एवं सेवाओं के साथ कवर करता है

सार्वजनिक पुस्तकालयों का राष्ट्रीय रजिस्टर: online.rrrlf.gov.in/showNRPLPage (RRRLF पोर्टल — राज्य/जिला फिल्टर के साथ पंजीकृत पुस्तकालय)

अन्य: "[जिले का नाम] public library" खोजें या कलेक्ट्रेट में पूछें — जिला पुस्तकालय सामान्यतः सरकारी क्षेत्र के पास एक ज्ञात लैंडमार्क होता है

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील जिला सार्वजनिक पुस्तकालय में ये सुविधाएँ होनी चाहिए: सामान्य पठन एवं समाचार पत्रों के लिए पर्याप्त बैठने एवं प्रकाश व्यवस्था सहित अलग-अलग पठन कक्ष, पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों, स्थानीय भाषा साहित्य, तथा बाल पुस्तकों को कवर करने वाला एक पुस्तक संग्रह, दैनिक समाचार पत्रों के साथ एक पत्रिका खंड, तथा — आधुनिकीकृत पुस्तकालयों में — इंटरनेट पहुँच युक्त कंप्यूटर।

एक क्रियाशील सार्वजनिक पुस्तकालय कैसा दिखता है

- वाचनालय निर्धारित समय में खुला हो तथा पाठक उसका उपयोग कर रहे हों
- वर्तमान समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ प्रतिदिन उपलब्ध हों
- पुस्तक संग्रह सूचीबद्ध हो तथा उधार सेवाएँ सक्रिय हों
- सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरनेट युक्त कंप्यूटर उपलब्ध हों (आधुनिकीकृत पुस्तकालयों में)
- पुस्तकालय प्रति तिमाही कम से कम एक आउटरीच कार्यक्रम (विद्यालय दौरा, पठन आयोजन) संचालित करता हो
- मोबाइल पुस्तकालय वैन (जहाँ स्वीकृत हो) पड़ावों एवं उपयोगकर्ताओं के अभिलेखों के साथ कार्यक्रम पर चलती हो

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु जिला पुस्तकालयाध्यक्ष है। सदस्यता एवं उधार विवादों के लिए, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एक समानांतर अग्रिम-पंक्ति है।

सेवा के बाद। एस्केलेशन जिला पुस्तकालय समिति (जहाँ गठित हो) तथा सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य निदेशालय तक होती है। RRRLF अनुदानों (पुस्तकें, IT उपकरण, आधुनिकीकरण) से जुड़े मामलों के लिए, RRRLF का प्रत्यक्ष अधिकार-क्षेत्र है।

बाहरी। संस्कृति मंत्रालय केंद्रीय-पुस्तकालय शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) चलाता है। RRRLF rrrlf.gov.in पर एक शिकायत चैनल संचालित करता है। राज्य पुस्तकालय ओम्बड्समैन (जहाँ गठित हों) सदस्य-पक्ष की शिकायतें संभालते हैं। सेंसरशिप या सामग्री-पहुँच विवादों के लिए, कॉपीराइट कार्यालय तथा भारतीय पुस्तकालय संघ की सलाहकार भूमिकाएँ हैं। ई-ग्रंथालय हेल्प डेस्क: 011-24305489 / 011-24305813 (सामान्य सहायता, दूरस्थ पहुँच के लिए); 011-24305481 (ऑनलाइन प्रशिक्षण); ईमेल egranthalaya[at]nic[dot]in।

—